

मांग संख्या 07
मुख्य शीर्ष 2030

मद क्रमांक 1

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय भवन के किराया मद में रूपये 0.60 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री पर स्टाम्प विक्रेताओं को देय कमीशन पर रूपये 23.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 23,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा स्टाम्पों की छपाई दर में वृद्धि के कारण राशि रूपये 150.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राज्य शासन व्यारा पखांजूर (जिला कांकेर), जैजेपुर एवं नवागढ़ (जिला जांजगीर-चांपा) तथा छुरिया (जिला राजनांदगांव) में उप पंजीयक कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है:-

| क्र. | पदनाम | संख्या | वेतनमान |
|------|--------------|--------|-----------|
| 01. | उप पंजीयक | 03 | 4000-6000 |
| 02. | पंजीयन लिपिक | 04 | 3050-4590 |
| 03. | भूत्य | 03 | 2550-3200 |

कुल पद 10

इन पदों के वेतनभूतों पर रूपये 3.34 लाख का व्यय होना संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत राशि से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

जिला पंजीयक कार्यालयों में कलेक्टर दर पर नियुक्त चौकीदार एवं फराश की मजदूरी भुगतान पर रूपये 2.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

जिला पंजीयक, बिलासपुर एवं जगदलपुर में शासकीय वाहनों के सुधार एवं मरम्मत पर रूपये 1.20 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2040

मद क्रमांक 7

वाणिज्यिक कर विभाग में सूचना पत्रों के तामीली हेतु आदेश वाहक के 100 पदों के (कलेक्टर दर पर) सृजन की आवश्यकता है। इन पदों पर रूपये 12.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।